आदेश

समीक्षा के कम में प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **जब किसी मामले** में किसी पुलिस पदाधिकारी से अभिलेख/प्रतिवेदन की मांग की जाती है, तो संबंधित पुलिस पदाधिकारी द्वारा अनुपालन प्रतिवेदन स्वयं समर्पित न कर अपने अधीनस्थ पदाधिकारी के स्तर से अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दे दिया जाता है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा इस परिपाटी पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की गई है।

अतः आदेश दिया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा जब भी किसी पुलिस पदाधिकारी से अभिलेख/प्रतिवेदन की मांग की जाय, तो उसी पुलिस पदाधिकारी द्वारा स्वयं के हस्ताक्षर से ही अनुपालन प्रतिवेदन माननीय उच्च न्यायालय, पटना को समर्पित किया जाय।

इस आदेश की अवहेलना को गंभीरता से लिया जायेगा।

20/3/15

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1173 /वि0को0

LC-24-11

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20/3/, 2015

प्रतिलिपिः–

1. सभी महानिदेशक, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
2. सभी अपर पुलिस महानिदेशक, बिहार को सूचनार्थ।
3. सभी पुलिस महानिरीक्षक (प्रक्षेत्र/रेल/बिहार सैन्य बल एवं इकाईयों सहित), बिहार को सूचनार्थ।
4. सभी पुलिस उप–महानिरीक्षक (क्षेत्र/रेल/बिहार सैन्य बल एवं इकाईयों सहित), बिहार को सूचनार्थ।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा (जिला/रेल/बिहार सैन्य बल/पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय एवं इकाईयों सहित) बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. आई0टी0 मैनेजर, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को इस आदेश को बिहार पुलिस पोर्टल पर अपलोड करने हेतु आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

20/3/15

पुलिस महानिदेशक,
बिहार, पटना।